न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/80/2021

मुकेश सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति ठाकुर निवासी नगला माना, उसपार तहसील व जिला मथुरा उत्तरप्रदेश।

......प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये पैरोकार, भरतपुर

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत वाहन टैम्पो टाटा रजि0न0 यूपी 85/ए.टी.0563 वमुकदमे एफ.आई. आर. संख्या 116/2021 अन्तर्गत धारा 5, 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) थाना कैथवाडा, भरतपुर।

उपस्थित :—

1. श्री चन्द्रप्रकाश, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय **दिनांक 09.03.2022**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी वाहन वाहन टैम्पो टाटा रजि0न0 यूपी 85/ए.टी.0563 का रस्टिर्ड मालिक काबिज है तथा सुपुर्दगी प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी के उक्त वाहन को पुलिस थाना कैथवाडा द्वारा गौवंश अधिनियम में जब्त कर लिया है जो थाना कैथवाडा पर खुले में खडा हुआ है जिसके खराब होने की पूर्ण संभावना है। पुलिस थाना कैथवाडा को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नही है। प्रार्थी को उक्त वाहन को अपने दैनिक कार्यो हेतु अत्यन्त आवश्कयता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन टैम्पो टाटा रजि0न0 यूपी 85/ए.टी.0563 को सुपुर्दगी दिये जाने की प्रार्थना की है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना कैथवाडा से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना कैथवाडा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 06.01.2022 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये कथन किया है कि जब्तशुदा वाहन टैम्पो टाटा रजि0न0 यूपी 85 / ए.टी.0563 का रजिस्टर्ड मालिक है तथा सुपुर्दगी में लेने का हकदार है। प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस थाना कैथवाडा द्वारा गोवंश अधिनियम में जब्त किया हुआ है जो खुले में खडे रहने से वाहन के खराब होने की संभावना है। प्रकरण में भी पुलिस थाना कैथवाडा को कोई आवश्यकता नही है। वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क दिया है कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी एवं अनैतिक कृत्य तथा अवैध परिवहन के लिए किया गया है। वाहन स्वामी के पास गोवंश परिवहन करने सक्षम प्राधिकारी का कोई परमिट या रवन्ना नही था। प्रार्थी का उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की गौकशी में नही किया जा रहा हो ऐसा कोई शपथ पत्र या साक्ष्य नही किया हैं। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना कैथवाडा की रिपोर्ट व एफ.आई.आर तथा प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना कैथवाडा की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वाहन टैम्पो टाटा रजि0न0 यूपी 85 / ए.टी.0563 में तीन गाय व दो बछडे गोवंश को गौतस्करी के लिए ले जाना पाया गया है तथा वाहन मालिक के पास वाहन का गोवंश का परिवहन करने का परमिट या रवन्ना नहीं था। रिपोर्ट से यह तथ्य साबित होता है कि उक्त वाहन अवैध परिवहन व गोवंश की तस्करी में उपयोग में लिया गया है, जिसकी आगे भी उपयोग में लेने की संभावना रहेगी। प्रार्थी द्वारा अपनी सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जिससे उसके तथ्य प्रमाणित हो सके साथ ही प्रार्थी द्वारा इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृति न होने बाबत कोई शपथपत्र पेश नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा वाहन की संलिप्तता न होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने से प्रार्थी किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का हकदार नही है। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

का विनियमन) अधिनियम 1995 के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जप्त गोवंश में संलिप्त वाहन टैम्पो टाटा रजि0न0 यूपी 85/ए.टी.0563 को सुपुर्दगी में नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत् वाहन टैम्पो टाटा रजि0न0 यूपी 85/ए.टी.0563 खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी कैथवाडा (भरतपुर) को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर